the year 1981-82 along with Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See* No. LT—5785/83]

(2)(i) A statement regarding Review by the Government on the working of the Semiconductor Complex Limited, for the year 1981-82.

(ii) Annual Report of the Semiconductor Comples Limited, for the year 1981-82 along with Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See* No. LT—5786/83].

WILD LIFE AMENDMENT RULES, 1982

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINH): I beg to lay on the Table a copy of the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Amendment Rules, 1982 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 770(E) in Gazette of India dated the 22nd December, 1982 under sub-section (2) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

[*Placed in Library. See* No. LT—5787/83].

12.16 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTY-THIRD REPORT

SHRI G. LAKSHMANAN (Madras North): Sir, I beg to present the Fifty-third Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

1217 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED COLLAPSE OF SOME DDA FLATS AND SCHOOL BUILDINGS IN DELHI.

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"दिल्ली में निर्माणाधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ फ्लैटों और स्कूल भवनों के हाल ही में गिर जाने के समाचार और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Mr. Speaker, Sir, On 20-8-1982 a portion of a building under construction in Mayur Vihar developed cracks and some portions gave way. To avoid danger to human life and workmen in and around this area and for the safety of the structure, half of the block was pulled down. Inquiry conducted into this revealed that it was mainly due to improper drainage around the buildings which resulted in development of cracks in the walls. The work of reconstructing building had been undertaken by the contractor, who also accepted the responsibility for the failure. The work of reconstruction has since been completed.

2. On 7-11-1982, the RCC roof and floor of a portion of one unit out of 64 houses which were under construction in Greater Kailash-I, collapsed resulting in the death of one person and injuries to two. The officers of the DDA under whose supervision the work was carried out, were transferred and departmental action initiated. The question of penalising the contractor has also been taken up. The inquiry conducted into this incident revealed that the collapse occurred due to inadequate design and poor-quality of mortar. The collapsed portion is being reconstructed after taking necessary strengthening measures.

3. In another incident portion of a block (No. C-2) of a four-storeyed MIG housing pocket in Vikaspuri collapsed on 28-12-82 while the work was in progress. Some further portion came down on 30-12-82. There was no loss of life. Immediately after this mishap, an Expert Committee was constituted to inquire into

[Shri Buta Singh]

the causes. Simultaneously, samples of mortar and other materials were taken, and it was found that the mortar did not contain adequate quantity of lime, nor was it properly mixed. On the basis of the priliminary findings and *prima facie* evidence, the Executive Engineer, the Assistant Engineer, and the Junior Engineer incharge of the work, were placed under suspension pending results of the inquiry by the Experts Committee. The DDA has also set in motion the process of action to rescind the contract. The contractor has also been debarred from taking further work.

4. On 29-12-1982, the outer wall of two Janata houses in Avantika near Mangolpuri collapsed due to erosion of the wall foundation by a deep storm water drain under excavation. This took place due to accidental puncturing of the water main near the drain and accumulation of large quantity of water in the drain. The junior Engineer and the Executive Engineer were transferred for their failure of supervision.

5. On the 16th January 1983 the roof of a higher secondary school building in the first floor under construction in Paschim Vihar collapsed. In this mishap, one woman worker engaged by the contractor fell along with the roof and died. A Magisterial enquiry was ordered by the Lt. Governor, Delhi, into this incident. A first information report was also lodged by the Delhi Development Authority.

6. A Fact Finding Committee was also constituted by the Lt. Governor-Delhi/Chairman-DDA to review the housing programmes of the Authority and advise on aspects of design, technical supervision, quality of materials, inspection procedure, empanelment of contractors and other related matters.

7. In addition, a task force was set up by the DDA under the charge of its Chief Engineer (Quality Control) to check all the housing schemes in progress. This task force has already inspected more than 20,000 houses and its recommendations are being followed up by the concerned field officers of the Authority.

8. The Quality Control Wing of the DDA was strengthened last year with the appointment of a Chief Engineer (Quality Control), who functions independently of the technical wing and reports directly to the Vice Chairman-DDA. Inspection procedures have also been tightened so that senior officers like the Chief Engineer, Chief Project Engineer, Additional Chief Engineer and Superintending Engineer, intensify the routine and surprise inspections. At the same time, measures to tone up the administration have also been initiated and already 90 officers whose work had come in for adverse comments by the Chief Engineer (QC) during the course of his inspections, have been transferred.

9. Sir, while I do share the concern of the Hon'ble Members and the public at the recent unfortunate incidents of collapse of houses constructed by the DDA I may point out that the DDA has been underetaking a massive housing programme and over the last decade, it had taken up the construction of more than 1.5 lakhs houses, out of which, morethan 85,000 have already been completed by March, 1982. I am confident that the recent measures initiated by the DDA, such as the unit by unit inspection of the houses under construction by the Task Force set up for the purpose, will ensure the desired quality in the construction of the building and in turn inspire public confidence.

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहता क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने इस विभाग का काम संभाला है, लेकिन कुछ वास्तविकताओं को उनके सामने रखना चाहता हूं ।

मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया वह सरकारी अधिकारियों के द्वारा बनाया गया वक्तव्य है और खासतौर से डी डी ए के अधिकारियों द्वारा बनाया गया है । डी डी ए० जसा कि इसके नाम से जाहिर है दिल्ली डैवलपमेंट • अथारिटी, लेकिन जिस प्रकार मकानों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है राजधानी में जो मकान डी० डी० ए०

द्वारा बनवाए गए हैं उससे लगता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी का नाम बदलकर दिल्ली डेस्ट्रेक्शन अथारिटी रखना पड़ेगा । जिस प्रकार से मकान ध्वस्त हो रहे हैं उससे लगता है कि दिल्ली के अन्दर कोई निर्माण कार्य डी० डी० ए० के द्वारा सही ढंग से नहीं हो सकता। डी० डी० ए० डीमाल्यूशन का काम कर रहा है डेवलपमेंट के नाम पर ।

कमजोर वर्गों को मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है । वीकर सेक्शन को मकान बनाकर देने की योजना सरकार ने बनाई है । पिछली सरकार ने भी ऐसी योजना बनाई थी, उस पर काम भी हुआ है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस योजना पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है उसमें ठीक ढंग से काम ही नहीं होता ।

वहां पर जो बने हुए मकान हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं है और न उनमें रहने वालों की कोई सुरक्षा है । बहुत से मकानों के गिरने के कारण अनेक लोगों की मृत्यु भी हुई है । एक तो बुनियादी सवाल यही पैदा हो जाता है कि जिन लोगों को मृत्यु डी० डी० ए० के फ्लैट्स गिरने से हुई है, क्या उन लोगों को मुआवज़ा देने के लिए सरकार कोई प्रबन्ध करेगी ? मेरी तो सरकार से मांग है कि जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को कम से कम एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए । डी० डी० ए० में लूट-खसोट मचा हुई है और यह उसी का परिणाम है कि मकान गिर रहे हैं जो मकान बनाए जाते हैं उनमें खराब किस्म का सब-स्टैण्डर्ड मैटीरीयल इस्तेमाल होता है । इसके अतिरिक्त ठेकेदारों और इंजीनियरों की मिली-भगत से उसमें तरह-तरह की धांधली की जाती है । यह बात भी कही जा रही है कि कुछ मकानों के निर्माण में डिज़ाईन का भी डिफेक्ट रहा और यह भी संभावना है कि डिज़ाइन डिफेक्ट के कारण कुछ मकान गिरे हों । इसकी व्यापक स्तर पर जांच होनी जरूरी है ।

मेरा तो अपना सुझाव यह है कि एक संसदीय समिति बनाई जाए जिसमें सभी दलों के संसद् सदस्य हों और वह समिति सभी मकानों के गिरने के कारणों के बारे में और उसमें तमाम जो खामियां हैं उसकी जांच करें और रिपोर्ट दे । उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्यवाही करे ।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी संसदीय समिति के गठन के पक्ष में हैं, और साथ ही न्यायिक जांच समिति भी गठित की जानी चाहिए जो इसके तमाम पहलुओं में जाए । दिल्ली विकास प्राधिकरण के पिछले 25 वर्षों की जितनी भी कार्यवाही है, उन सबकी जांच न्यायिक जांच समिति द्वारा कराई जाए ।

प्रसाद नगर, वसन्त विहार, विकासपुरी में दर्जनों मकान गिरे हैं और लोग मरे हैं । अभी त्रिलोकपुर में 14 फरवरी को बनते समय ही मकान गिर गया । डी डी ए० की विशेषता यह है कि जब मकान बनते हैं तो उसी समय गिर जाते हैं और तमाम लोग उसमें मरते हैं । (व्यवधान)

दर्जनों मकान तो गिर गए हैं लेकिन डी० डी० ए० ने देखा कि बहुत से मकान

[श्री हरिकेश बहादुर]

गिरने वाले हैं, इससे उसकी बदनामी होगी तो उसने उन मकानों को खुद ही गिरवा दिया। उन मकानों के बनाने में तमाम भ्रष्टाचार हुआ रहता है और उनके गिरने की संभावना रहती है और उनमें कितना पैसा खराब होता है, इसलिए डी० डी० ए० स्वयं ही मकान गिरा देती है। यह डी० डी० ए० की कार्य प्रणाली है।

मैं चाहता हूं कि एक हाई कोर्ट के जज द्वारा उसकी जांच कराई जाए। यह जो घटनाएं घटी हैं उनमें अधिकारियों के द्वारा थोड़ी बहुत कार्यवाही हो गई है लेकिन उस कार्यवाही से कोई विशेष सुधार होने वाला नहीं है।

इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए और यदि जरूरत हो, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, संवैधानिक परिधि में ऐसी कार्यवाही उनके खिलाफ की जा सकती है। यदि सरकार समझती है कि उनके खिलाफ कोई विशेष कानून बनाने की जरूरत है तो मैं चाहूंगा कि वह भी सरकार बनाए क्योंकि यह भयंकर अपराध है, इस अपराध से तमाम लोगों की जानें जा रही हैं। विकासपुरी में जो मकान गिरे हैं उनके बारे में डी० डी० ए० के कर्मचारीरियों द्वारा यह कहा गया है कि वहां पर भूतों और प्रेतों की वजह से मकान गिर रहे हैं। यह बात अखबारों में छपी है, कितनी हास्यास्पद बात है जो डी० डी० ए० के लोग कह रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) भूत ही थे या चुडैलें भी थीं ?

श्री हरिकेश बहादुर : और यह कहा जाता है कि एक काली बिल्ली दिखाई देती है जो रंग बदलती है। वहां पर कब्रिस्तान भी है। तांत्रिक बुलाए गये हैं जो पूजा कर रहे हैं उन भूतों की शांति के लिए....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you believe in the stories of ghosts and spirits?

SHRI HARIKESH BAHADUR: I do not believe, but I find that the DDA people are doing it and it has been published in the papers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But you do not believe in that. Very good.

श्री सुल्तान सिंह चौधरी (जलेसर) : अभी तो मकानों को भूत गिरा रहे हैं। कहीं सरकार को ही भूत न उठा ले जायें, संकट ही कट जाय।

श्री बूटा सिंह : हमारे रहते हुए वह नहीं रह पायेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय सदस्य की आशंका सारे सदन की आशंका है कि यह भूत जो मकान गिरा रहे हैं कहीं सरकार को ही न गिरा दें। और हमारी कामना है कि ऐसे भूत सरकार को गिरावें।

अन्त में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि यह जो मकानों के गिरने की घटना है या क्या उसकी संसदीय समिति द्वारा मंत्री जी जांच करायेंगे ? साथ ही डी० डी० ए० के पूरे कार्यकलाप की न्यायिक जांच कराने का मंत्री जी का कोई विचार है ? और जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात के बारे में सरकार का क्या रुख है ? साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया जाय।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। डी० डी० ए० की मकान बनाने की क्षमता कम है, और जो मकान बनाने की

रफ्तार है वह भी कम है। लगभग 25,000 मकान प्रतिवर्ष बनते हैं जब कि दिल्ली में 4 लाख 64 हजार मकानों की श्रावश्यकता है, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। हो सकता है श्रौर ज्यादा जरूरत हो यह तो मंत्री जी ही बतायेंगे। तो क्या डी० डी० ए० की निर्माण क्षमता को बढ़ाने का कोई उपाय मंत्री जी करेंगे ? क्योंकि देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीबी की हालत में रह रहे हैं, उनके रहने के लिए मकान नहीं हैं। वैसे तो पूरे देश में करोड़ों मकानों की श्रावश्यकता है। लेकिन दिल्ली में जो लगभग 5 लाख मकानों की श्रावश्यकता है उन्हें जल्दी से बना कर जरूरतमंद लोगों को दिया जाय इसके लिए क्या डी० डी० ए० की निर्माण क्षमता को बढ़ाने का कोई विचार सरकार का है ?

श्री बूटा सिंह : मान्यवर, माननीय सदस्य ने ज्यादातर सुझाव ही दिये हैं श्रौर इसमें कोई श्रापत्तिजनक प्रश्न तो हुए नहीं। श्रापने कहा कि निर्माण कार्य सही नहीं हुश्रा। इसको मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि डी० डी० ए० ने जो श्रब तक काम किया है उस पर नजर डालेंगे तो श्रापको पता चलेगा, जैसा मैंने वक्तव्य में भी कहा है, कि 86,000 मकान कमप्लीट हुए, श्रौर यह बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो मकान गिरे हैं वह निर्माणाधीन थे तब गिरे हैं। फ्लैट तैयार हो कर श्रौर उसमें परिवार रहते हुए मकान गिरे हों ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, श्रौर न ही ऐसी कोई घटना हुई है। यह स्वाभाविक है कि जब इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होता है श्रौर बड़ी कालोनीज बनती हैं तो एक ही साथ स्लैब वगैरह डालना पड़ता है, श्रौर श्रक्सर मौसम की वजह से, कई बार कांट्रेक्टर की तरफ से जो मसाला लगाया जाता है उसमें कमी हो जाय। तो जब तक क्योरिंग ट्रीटमेंट पूरा न हो उसके पहले स्कैफ़ोल्डिंग या शटरिंग वगैरह गिरने से ऐसी थोड़ी बहुत छुटपुट घटनायें हो ही जाती हैं।

श्राप श्रगर श्रन्दाज़ लगायें तो 86,000 हाउसिंग जैसी एक बहुत बड़ी योजना पर लम्बे स्केल पर मकान बनते हों तो उस में से एक दो ब्लाक इस तरह से निर्माणाधीन श्रगर गिर जायें तो उस को हम यह नहीं कह सकते कि यह इतना बड़ा मसला है जिससे डी० डी० ए० फेल हो गया या श्रस्त व्यस्त हो गया, उस से काम नहीं चलता है। इस बात को मैं नहीं मानता। यह जरूर है कि सतर्क रहना चाहिये, जो कंस्ट्रक्शन एजेन्सी है, वह सही मैटीरियल इस्तेमाल करे, क्योरिंग ट्रीटमेंट पूरी होनी चाहिये। उनके पास पूरा सामान रहना चाहिये स्कफ-होल्डिंग, शटरिंग वगैरा, जिससे ऐसी दुर्घटना न हो।

इसके लिये मैं ने श्रपने वक्तव्य में उल्लेख भी किया कि लैफ्टिनेन्ट गवर्नर, दिल्ली, जो डी० डी० ए० के श्रध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक श्रादेश जारी किया है जिसके माध्यम से उन्होंने एक बहुत ही उच्च स्तरीय समिति बनाई है। उस में हमारे चीफ़ इंजीनियर श्रौर हमारे डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री श्राफ वर्क्स हाउसिंग के हैं। इस चीज का बहुत मजबूती के साथ हम फालो-श्रप करेंगे ताकि ऐसी दुर्घटना दुबारा न हो।

श्रापने कहा है कि कोई संसदीय समिति इस में कायम की जाये, यह संभव नहीं होगा क्योंकि माननीय सदस्य पहले ही श्रपने कार्य में इतने व्यस्त हैं, तो वह कैसे विकास कालोनीज में जा कर हाउसिंग के कार्य का इंस्पेक्शन करेंगे ? यह काम मैं संसद् की श्रोर से स्वयं करूंगा, मुझे कुछ श्रनुभव भी है क्योंकि एशियन गेम में मैंने काम किया है।

[श्री बूटा सिंह]

मैं खुद देखूंगा कि मौनिटरिंग कैसे होती है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं माननीय मंत्री जी का साथ दे सकता हूं।

श्री बूटा सिंह : जहां कहीं भी माननीय सदस्य की दिलचस्पी हो वह साथ चल सकते हैं, मगर इस तरह की कोई समिति गठित की जाये, उस से कोई लाभ नहीं होगा।

आपने यह भी कहा है कि इसकी किसी न्याय समिति से जांच कराई जाये। जहां कहीं ऐसी दुर्घटना होती है, जिस में कोई मृत्यु हो जाये या कोई बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ की बात हो तो वहां स्वयं ही डी डी ए के अध्यक्ष ऐसी जांच का आदेश दे देते हैं। एक मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी चल रही है। पूरे कार्यकाल में जितना काम डी डी ए ने दिल्ली में किया है, उस की सराहना की जानी चाहिये क्योंकि दिल्ली जैसे विकासशील महा नगर को इतनी बड़ी संख्या में मकान देना डी० डी ए० का सराहनीय कार्य है। इसीलिये हम उस की सराहना करते हैं। ऐसी न्याय समिति की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां कहीं ऐसी घटना हो; दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु हो जाये, इसमें खाली एक ही घटना ऐसी है जिसमें हमारी एक मजदूर महिला, जो काम कर रही थी, उसके नीचे आ रही थी, शटरिंग गिरी तो साथ ही वह भी गिर गई।

आपने कहा कि डी डी ए ने कुछ मकान गिराये। इसलिये कि डी डी ए० को पता था कि यह भी मकान अच्छे नहीं हैं, वह भी दुरुस्त नहीं है। हम ने क्यों वह ब्लाक गिराये, इसलिये कि जब एक ब्लाक गिरा तो उसके साथ वाली दीवार, जो खड़ी थी, उस में खतरा था, कि उस के प्रभाव से वजन के नीचे आकर वह गिर न जाये, इसलिए हम ने खुद ही उस को गिरा दिया ताकि आसपास के रहने वालों को खतरा न हो। इसलिये नहीं गिराया कि उनकी क्वालिटी या डिज़ाइन में कोई कमी थी। हमने सुरक्षा के लिये स्टेप लिया है, कि उन को गिरा दिया जाये ताकि आगे-पीछे चलने वाले लोगों को असुविधा और खतरा न हो।

एक बात की माननीय सदस्य की मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने डी० डी ए० में इतनी दिलचस्पी ली, मगर डी डी० ए० ने जो कार्य किया है, मैं समझता हूं कि डी० डी० ए० की कार्यकुशलता बढ़ी है।

मुआवजे की बात भी आपने की है। मजदूर महिला की जो मृत्यु हुई है, उसमें डी० डी० ए० ने एक्स-ग्रेशिया 5 हजार रुपये की सहायता की है। बाकी मुआवजे का मसला न्याय ट्रिब्यूनल के सामने है जैसे ही कन्ट्रैक्टर का फैसला हो जायेगा, उस के मुआवजे के प्रश्न को भी हल किया जायेगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं भी माननीय मंत्री जी की इस भावना से सहमत हूं कि डी डी० ए ने अपने 25 साल के इतिहास में बहुत कुछ सराहनीय कार्य किया है लेकिन हमारी गवर्नमेंट की एक मोनोपली हाउसिंग एजेन्सी है और आज जिस तरीके से इस एजेन्सी में कुछ अक्षमता आती जा

रही है और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती जा रही हैं, क्रिमिनल नेग्लीजेंस की शिकायतें आती जा रही हैं, वह हम सब के लिये और माननीय मंत्री जी के लिये विचारणीय प्रश्न है ।

माननीय मंत्री जी की क्षमता पर इस सदन को और हम सब को भरोसा है , हम उम्मीद करते हैं कि जो कमियां डी डी० ए के फंक्शनिंग में इस समय हैं, उन को माननीय मंत्री जी दूर करेंगे । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस विषय से संबंधित कई बिन्दुओं को स्पष्ट किया है, मैं मात्र इतना जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में डी० डी० ए० द्वारा निर्मित कितने निर्माण कार्य अकारण गिरे हैं और उस से कितने रुपये की क्षति पहुंची है ।

आपने क्वालिटी कन्ट्रोल बोर्ड बनाने की बात कही है लेकिन उस को आपने अधिकारियों के मातहत, विशेषकर मेम्बर इंजीनियरिंग के मातहत रखा है और मेम्बर इंजीनियरिंग की क्षमता के बारे में अखबारों में बहुत कुछ निकला है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप क्वालिटी कन्ट्रोल बोर्ड को सीधे ले० गवर्नर के मातहत या अपनी मिनिस्ट्री के अन्तर्गत रखने पर विचार करेंगे ?

मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो बड़े-बड़े काम्प्लेक्सेज़ हैं उन में कोई आकस्मिक हाई लेवल जांच की व्यवस्था है या नहीं ? विशेष-कर इंजीनियरिंग चीफ और मेम्बर इंजी-नियरिंग, , डी० डी० ए० , इन कांप्लेक्सेज़ को फ्राम टाइम टू टाइम विजिट करते है या नहीं ? विकासपुरी के सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा हूं कि डी० डी ए के मेम्बर इंजीनियरिंग वहां पर कितनी बार गए और इंजीनियरिंग चीफ़ कितनी बार गए । अखबारों में आया है कि विकासपुरी ऐसा पहला प्रोजेक्ट था, जिस में डी० डी० ए० के डिज़ाइन-डिवीज़न ने सिफारिश की थी कि तीसरी मंजिल पर सीमेंट न लगाई जाए। यह भी सिफारिश की थी कि बिना कांक्रीट और बिना बीम के इस कांप्लेक्स को निर्मित किया जाए जब कि इस बारे में किसी भी इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से कोई सलाह नहीं ली क्या गई थी । इस सम्बन्ध में इंस्टीट्यूट फार टेक्नालाजी से कोई सलाह ली गई थी, या किसी और विशेषज्ञ इंजीनियरिंग संस्था से कोई सलाह ली गई थी ? यदि नहीं तो किस आधार पर यह समझा गया कि यह कांप्लेक्स ड्यूरेबल होगा ? कहीं यह तो नहीं समझा गया कि चुंकि वीकर सेक्शंस के लिए यह बन रहा है इस लिए अगर कमजोर भी बन जाए तो भी चलेगा ? इसके साथ साथ यह भी शिकायत है कि डी० डी० ए० द्वारा वहां पर पोजलाना इस्तेमाल किया गया है या सुर्खी और लाइम स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, पोर्ट लैंड सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है । क्या यह सच है या नहीं ? (व्यवधान)

डी० डी० ए० द्वारा जो कालोनीज़ बनाई जाती हैं उनके संबंध में लगातार शिकायतें आती रहती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि डी० डी० ए० द्वारा निर्मित कालोनीज की जांचकरने के लिये, लोगों की शिकायतें सुनने और उनको दूर करने के लिये क्या कोई स्टडी टीम या टास्क फोर्स जैसी कोई चीज होती है या नहीं और क्या वहां पर कोई रजिस्टर मेन्टेन किया जाता है जिसमें

[श्री हरीश रावत]

कि वहां के रहने वाले लोग सब-स्टैंडर्ड निर्माण संबंधी अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकें ?

इसके अलावा डी॰ डी॰ ए॰ जो भवन निर्मित करता है वह कभी कभी एक साल या उससे भी अधिक समय तक लिटीगेशन या अन्य कारणों से पब्लिक को आवंटित नहीं किये जाते हैं और इस बीच में उनकी मेंटीनेन्स नहीं होती है। जब वह आवंटित किये जाते हैं तो एलाटीज को उनमें कई प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या ऐसे क्वार्टर्स के संबंध में डी॰ डी॰ ए॰ 6 महीने तक के रख-रखाव की जिम्मेदारी अपने ऊपर लने के लिये तैयार है ?

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि क्वालिटी कन्ट्रोल के जो चीफ इंजीनियर हैं वे इंडेपेन्डेन्ट नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे एक बिल्कुल इंडेपेन्डेन्ट उच्चाधिकरी हैं और वे अपनी रिपोर्ट किसी भी मेम्बर को नहीं देते हैं, सीधे वाइस-चेयरमैन को देते हैं। इसके साथ साथ सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन का जो टेक्निकल विंग है वह भी अपने ढंग से इंडेपेन्डेन्टली सैम्पल सर्वे करता है। क्वालिटी चैक करते हैं, इन्सपैक्शन करते हैं। इसलिये यह दुरस्त नहीं है कि डी॰ डी॰ ए॰ के जो क्वालिटी कंट्रोल चैक्स हैं, वे किसी आफिसर के अधीन हैं। यह इंडिपैंडेंट अथारिटी हैं। इस पर वाइस चेयरमैन द्वारा एक्शन लिया जाता है।

एक सवाल आपने यह भी पूछा कि बड़े-बड़े काम्पलैक्सेस को कितना फ्रिक्वैंटली विजिट किया जाता है। वाइस चेयरमन स्वयं और कभी कभी साथ में वहां के प्रोजेक्ट इंजीनियर को लेकर, विकली या फोर्ट-नाइटली, इन्सपैक्शन करते हैं। इन्सपैक्शन न सिर्फ रजिस्टर करते हैं, बल्कि उस पर फोलो-अप एक्शन लिया जाता है और बड़ी सख्त मानिटरिंग करते हैं।

श्री हरीश रावत : विकास पुरी के बारे में।

श्री बूटा सिंह : विकास पुरी में वहां के इंजीनियर्स की तरफ से यह पाया गया है कि इन्सपैक्शन उतनी फ्रिक्वैंटली नहीं हुआ है, जितना कि होना चाहिये था। इसलिये वहां उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। जो उस वक्त के वहां के इंजीनियर थे, वहां से उनका स्थानान्तरण हो गया है।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He will reply only to Shri Rawat.

(Interruptions)**

श्री बूटा सिंह : जो मैम्बर इंजीनियर थे, उन्हीं की एडवाइस पर एक्शन लिया गया है। जो नये मैम्बर होंगे, जहां जहां बड़े-बड़े काम्पलेक्स हैं, वहां इन्सपैक्शन करेंगे। विकास पुरी के बारे में यह सही है कि इन्सपैक्शन बराबर नहीं थी। इस लिये वहां उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हू तीसरी मंजिल पर सीमेंट लगाने की हिदायत नहीं है। कुछ काम्पलैक्सेस में फर्स्ट-फ्लोर पर बकायदा सीमेंट लगाई जाती है। यूज्यूली सैकिंड और थर्ड फ्लोर पर लाइम का इसतेमाल किया जाता है। इसमें हमारा अनुभव है और यह दुरस्त है। इससे न सिर्फ हाउस की कन्स्ट्रक्शन कास्ट कम आती है, बल्कि इससे लोग ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यह भी सही नहीं है कि सीमेंट बहुत घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल होता है। बाकायदा टैस्टेड सीमेंट—पोर्टलैंड या लोकल सीमेंट—अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है।

**Not Recorded.

जहां तक डी० डी० ए० में लोगों की शिकायतों के बारे में सवाल है यह बात पहले भी हमारी नोटिस में आई थी मगर अब मौजूदा वाइस चेयरमैन ने एक नया अभियान शुरू किया है। वे स्वयं उन शिकायतों को सुनते हैं। . . . (व्यवधान) . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not record these other things.

(*Interruptions*)**

श्री बूटा सिंह : मैं नये वाइस चेयरमैन की बात कर रहा हूं। जब हम एशियाड की तैयारी कर रहे थे, तब ही आये थे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have to conduct the House according to the rules. He will only reply to Shri Rawat.

(*Interruptions*)

श्री बूटा सिंह : उन्होंने एक कम्पलेंट सैल डी० डी० ए० में खोला है। जिसमें पब्लिक की कम्पलेंट एटेंड करने का सिलसिला है। वे स्वयं इसको देख रहे हैं। वह आफिसर्स के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं। इसकी कुछ समय से मेरे पास अच्छी रिपोर्टस आ रही हैं। उनके देखने से जो कम्पलेंट के अटेंड करने का जो सिस्टम था, वह काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है।

आपने लिटिगेशन के बारे में भी जिक्र किया। यह सही है जो केस पहले कोर्ट में चले जाते थे, उन पर स्टे हो जाता था और काम रुक जाता था। फिर भी डी० डी० ए० को इस बात की हिदायत दी जा सकती है कि वह जब तक लिटीगेशन चलता है, तब भी उन हाउसेस, प्रोजेक्ट अंडर कन्स्ट्रक्शन के मैटिनेंस पर पूरा ध्यान रखें।

श्री हरीश रावत : एलाटमेंट के छः महीने बाद तक।

श्री बूटा सिंह : मैं देख लूंगा।

आपने एडवाइजरी काउंसिल के बारे में कहा है। वह रि-कान्स्टीचूट हो रही है। इसके नये सदस्य आयेंगे, जिन की रैगुलर और फ्रिक्वैंट मीटिंग हुआ करेगी . . . (व्यवधान) . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not record.

. . . (व्यवधान)** . . .

श्री बूटा सिंह : यह ध्यानाकर्षण फ्लैट्स गिरने का है, न कि एडवाइजरी काउन्सिल गिरने का। जिन पेपर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं वह देख लूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Krishna Pratap Singh.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : (सैदपुर) : यह तो बतला दीजिये कि भूत की पूजा हो रही है या नहीं हो रही है? यह क्या मजाक है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You speak to the Minister, meeting him in his chamber. I will not allow.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Krishna Pratap Singh is on his legs. This is not the way.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Calling Attention is not a general discussion. Even after three years, for the new Members also, am I to teach them as to how we conduct ourselves when we are dealing with Calling Attention? No. Therefore, I would say, only Mr. Krishna Pratap Singh should speak.

(*Interruptions*)

** Not recorded

MR. DEPUTY-SPEAKER: You know, the names are ballotted. All these names have been ballotted.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will not allow. Don't record anything.

(*Interruptions*)**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ बातें कहूं, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आप ने जो बयान दिया है और हरिकेश बहादुर जी ने जो प्रश्न पूछा था तथा आप ने भी, उपाध्यक्ष महोदय, पूछा था कि मकान के गिरने से कितनी मौतें हुई हैं, उसके जवाब में मंत्री महोदय ने बतलाया कि एक महिला की मृत्यु हुई है, जब कि अभी जो वक्तव्य आपने पढ़ा, उसमें दो घटनाओं में दो आदमियों की मृत्यु की चर्चा हुई है । 7-11-1982 को जो घटना हुई उस में एक मजदूर के मारे जाने की चर्चा उन्होंने की है तथा एक महिला के मारे जाने के बारे में उन्होंने बतलाया है जिसके लिये 5 हजार रुपये एक्स-ग्रेशिया ग्रांट दी गई है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मकान के गिरने से एक आदमी की नहीं, बल्कि दो आदमियों की मृत्यु हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी घटना के लिये मुआवजा दिया गया या नहीं ?

जहां तक ट्रिब्यूनल का संबंध है, मुझे यह कहना है कि ये मजदूर जो यहां काम करने आते हैं, दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, दूर से काम करने आते हैं और मजदूरी करते हैं । जब मामला ट्रिब्यूनल में चला जाता है तो काफी लम्बे अर्से तक केस वहां पड़ा रहता है और फैसला नहीं हो पाता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कुछ ऐसा प्रबंध करें कि मुआवजे की राशि का उन को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान हो सके ।

माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि डी० डी० ए० का कार्य बहुत बड़ा कार्य है और सभी मकान जो बन कर तैयार होते हैं नहीं गिरते हैं । बल्कि जब वह बन रहे थे तब गिरे हैं—यह बात उन्होंने स्वीकार की है तथा यह भी कहा है कि अभी तक घटना से संबंधित किसी अधिकारी को दंडित नहीं किया गया है । केवल ट्रांसफर किया है या स्थानान्तरण किया है । स्थानान्तरण कोई पनिशमेंट या दंड नहीं है, दूसरी जगह जा कर वे फिर वही काम करेंगे । यह ठीक है कि आप विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों की जानकारी है उस में भी काफी विलम्ब हुआ करता है । उस का निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र हो तथा जो दोषी अधिकारी हैं जब तक उन को दंडित नहीं करेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं होगा ।

मैं यह नहीं कहता कि डी० डी० ए० में जितने इंजीनियर या अधिकारी हैं सभी भ्रष्ट हैं । परन्तु जो भ्रष्ट पाये गये हैं, जैसे आप ने कहा है कि सबस्टैण्डर्ड मैटीरियल इस्तेमाल हुआ है जिससे मकान गिरे हैं, ऐसे अधिकारियों को क्या दंड मिला, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कब से चल रही है, इस तरह का प्रबंध होना चाहिये जिससे शीघ्रातिशीघ्र उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके ।

दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है, यहां देश के हर भाग से लोग आते हैं तथा उनके निवास की काफी समस्या है । हमारे यहां के काफी लोग यहां पर मजदूर हैं और मजदूरी करते हैं । आप जरा उन की झुग्गी-झौपड़ियों में जा कर देखिये कि किस स्थिति में वे यहां पर निवास कर रहे हैं, यहां पर रह रहे हैं । उस तरह से

** Not recorded

तो चिड़ियां ग्रौर जानवर भी नहीं रहते हैं, जिस तरह से हमारे यहां के मजदूर इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ग्रौर वहां रह कर काम करते हैं । वहां की दुर्दशा देख कर बड़ा ग्राघात पहुंचता है । यह जो सुझाव दिया गया है कि डी० डी० ए० की जो मकान बनाने की क्षमता है, उस को बढ़ाया जाय इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये । मैं यह भी चाहूंगा कि जो लक्ष्य ग्राप का मकान बनाने का है, वह समय से पूरा हो ।

मैं मंत्री जी को एक बात के लिये बधाई दूंगा । उन्होंने जो यह कहा है कि जांच करने के बाद ही सभी मकानों को लोगों को दिया जायगा, यह एक बहुत ग्रच्छी बात है ग्रौर हमें पूरा भरोसा है कि जनता की जो भावना है, उसके ग्रनुरूप ग्राप ग्रधिकारियों को इस काम में लगायेंगे ग्रौर वे सही ढंग से काम करेंगे ।

मैं एक बात ग्रौर पूछना चाहता हूं ग्राप ने ग्रन्त में कहा है कि एक जांच समिति ग्रापने मुख्य इंजीनियर के ग्रधीन गठित की है ग्रौर उसने जो जांच की है, उसके ग्रनुसार ग्राप ने 90 ग्रधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है । इनके विरुद्ध उन्होंने टिप्पणी की थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल मात्र 90 ग्रधिकारियों के खिलाफ ही उन्होंने टिप्पणी की थी या उन की संख्या इससे ग्रौर ज्यादा है ।

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैंने ग्रपने वक्तव्य में भी कहा है कि दो जगहों पर मृत्यु हुई है, एक तो पश्चिमपुरी में ग्रौर दूसरे ग्रेटर कैलाश में ग्रौर यह तो एक निर्धारित पालिसी है कि जैसे ही किसी मजदूर की या किसी व्यक्ति की मकान के गिरने से मृत्यु हो जाय, तो डी० डी० ए० की तरफ से 5 हजार रुपये एक्स ग्रेशिया पेमेंट उसी वक्त कर दिया जाता है । दोनों केसेज में पेमेंट कर दिया गया है । इसके पश्चात क्या होता है ? ग्रक्सर जो ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जिन में मजदूरों की मृत्यु होती है, तो वे ज्यादातर कांस्ट्रक्शन कांट्रेक्टर के मजदूर होते हैं ग्रौर लेबर डिस्प्यूटस एक्ट ग्रौर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस एक्ट के तहत बाकायदा, उन का जो मुग्रावजा होता है, वह तय किया जाता है ग्रौर वह फिर कांट्रेक्टर को देना होता है । तो दोनों केसेज में इन का जो मुग्रावजा था या एक्स ग्रेशिया पेमेंट था, वह डी० डी० ए० की तरफ से कर दिया गया ।

माननीय सदस्य ने जो दंड देने की बात कही ग्रौर कहा कि ट्रांसफर कर के ही उनको छोड़ दिया जाता है, तो यह सही नहीं है । स्थानान्तरण तो पहला कदम होता है ग्रौर वह इसलिये किया जाता है ताकि जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, वह उस से प्रभावित न हो सके । इसलिये उस को वहां से शिफ्ट करने का पहला कदम होता है । बहुत से ऐसे ग्रफसर जिन के बारे में कुछ शिकायतें मिली है उनको ट्रांसफर करने के बाद, उन की विभागीय जांच होती है ग्रौर जांच होने के बाद जो सजा निर्धारित की जाती है, वह सजा उनको दी जाती है । 90 कर्मचारियों ग्रौर ग्रधिकारियों का जो उच्च स्तरीय समिति की जांच के बाद स्थानान्तरण किया गया है, उनमें से ग्रधिक ऐसे हैं, जिनके बारे में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप जानते ही हैं कि जो सर्विस रूल्स हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि उसी वक्त ग्रादमी को पकड़ कर उस को किसी किस्म की सजा दी जाये । कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सर्विस कंडिशन्स होती हैं, जिनके तहत जो सजा निर्धारित है, वही दी जा सकती है ।

MR. DEPUTY SPEAKER: If you do it immediately, they will go to the court.

SHRI BUTA SINGH: Yes, Sir. In one of the cases we did take action on the spot. The officer went to the court and got a stay order. It is always better to follow the rules and conditions of service and after the departmental enquiry is complete, then we initiate the action.

I can tell the hon. Member through you and also this august House that we will not spare any official or anybody who is responsible for this kind of incident. On completion of departmental enquiry we will take action.

A large number of those found guilty were suspended on the spot.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack): The recent collapse of D.D.A. flats in many areas of Delhi like the Paschim Vihar, Vikas Puri and other places has created a sort of panic in the mind of the people especially the flat users. It is said that it has resulted in some human casualties and many people have been injured. It is also believed that the material used for the construction of flats is substandard. It is very sad to see all the things because, on the one hand the price of the DDA flats is going high because of inflation and on the other hand, the impression has gone around that the DDA flats are of inferior materials. It is true that the risks are multiplied a hundred time when adulterated and substandard materials are used in the buildings of schools and hospitals.

I am glad to learn that soon after the incident, an enquiry was made, some engineers were transferred and a flying squad was also set up to into the matter. I want to convey the feelings of some people who have mentioned that the DDA house-collapse incidents took place mostly in North Delhi and West Delhi. If it is true, then it leads to a conclusion that South Delhi has got a preferential treatment because the eventual allottees of the DDA flats in South Delhi are generally influential people.

My second point is: by merely transferring the engineers does the problem get solved? One finds that the specifcations for cement-mix are rather low. I mean to say that the proportion of the cement to be mixed with the sand is low. One also understands that the Badarpur coal dust is also allowed to be mixed with cement. Is this safe? Has the National Buildings Organisation permitted this sort of experiments? It is true that DDA has to resort to this kind of experiments to keep the proportion of cement and sand low and on account of the financial restrictions put by HUDCO.

My next point is, what is the procedure for checking the defects of the DDA flats before they are handed over to the allottees. Even the DDA officials have admitted that there is inadequate supervision at every stage of construction. Proper testing of building materials is also lacking. That is why, may I ask the question whether the Government is thinking of having a permanent cell to check and to attend to the complaints and suggest prompt action and also to provide service for the maintenance of the flats?

Of course, after the incident at Paschim Puri, a complaint register has been introduced so that the allottees will have an easy access. But what I mean to say is that there should be a permanent cell. I want to know what is the cash ratio of L.I.G., if it is to be executed by the C.P.W.D., which is now being charge by the DDA.

Lastly, my point is whether DDA has got a Vigilance Department of its own, if so, how many engineers have been prosecuted and against whom charges are being processed during the last three years? Do the comparative figures indicate an increase in the trend of corruption and if so, what action has been taken so far?

Lastly, I must say, the DDA has kept the nation's prestige high during the Asiad

by completing all the construction in time. I hope, it would continue the spirit of dedication by rectifying the defects and by bringing the erring performance to book.

SHRI BUTA SINGH: I am happy the hon. Member has appreciated the wonderful work done by the DDA during the Asiad. I want to assure the honourable House that it will be my endeavour and that of the team led by the Vice-Chaiman of the DDA....

MR. DEPUTY SPEAKER: Fortunately. you were the Minister in-charge also.

SHRI BUTA SINGH:....to keep up the spirit and also maintain the quality and speed with which we were able to get through the Asiad.

It is not our intention to justify any unfortunate incident that tasks places. But if you look at the huge programme which is undertaken by the DDA and look at the four incidents which took place during the last one year or so, it will not be to the extent that one can get panicky. As the hon. lady member has said, there is nothing to get panicky about it. If you just look at the figures of our programme, in 1981-82; it was 20,000 houses; in 1982-83, it was 25,000 houses and at the moment 55,000 houses are under construction. To take up a few instances here and there and to say that some panic has been created will not be justified. I would request the hon. lady member not to get panicky. The DDA is very much in the grip of the situation and we are not letting anything to escape our notice.

MR. DEPUTY SPEAKER: She got panicky because the person who died was a lady.

SHRI BUTA SINGH: Whether it is a lady or a child or an old man, any life lost during the construction project is a valuable life lost. To that extent, I share her anxiety. We will see to it that such incidents are not allowed to be repeated.

She asked about the quality of mixture being used in the DDA schemes. May I inform the hon. lady member that there is a regular material quality control check being undertaken in and outside the test houses by the ITT experts and we are keeping a constant consultation with this expert body. There is also in the DDA itself a quality control cell which monitors the quality of various projects under its purview.

The incidents which the hon. lady member mentioned are not in the north and the west. One is in the south and the other is in the north. We do not have any discrimination; we look after all corners of Delhi and we treat Delhi as one compact capital project. Wherever defects are noticed, whether it is east or west or north or south, we immediately rush to the spot and try to rectify the defects.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: What about mixing Badarpur coal dust with cement?

SHRI BUTA SINGH: As I already mentioned, we have set up an expert committee both to monitor the quality as well as the cost, etc. This point which my hon. friend has made will be taken care of. I will ask the expert committee to go into it.

She mentioned something about the cement check system. It has recently been re-vamped and we are constantly inspecting the under-weight cement bags. We are also making random checks. I can assure the House that we will not allow anybody to play with the materials which are stored in our godowns.

13.10 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after lunch at Seventeen minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to establish on Agricultural University at Ochhaghat in Solan.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Navin Ravani. He is not here. Shri Krishan Datt Sultanpuri.